उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 234 / यू0पी0–रेरा / तक.प्रकोष्ठ / 2023–24 दिनांकः 10/01/2024

कार्यालय आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र.रेरा) में संप्रवर्तकों द्वारा परियोजना पंजीयन आवेदन में जो ईमेल आईडी उपलब्ध कराई जाती है, वह केवल उ.प्र.रेरा से पत्राचार के लिए होती है। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कुल कितने ई–मेल आईडी बनाये गये हैं। रेरा अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी प्रोजेक्ट विशेष से सम्बन्धित जो भी पत्राचार किए जाते हैं, उसमें ईमेल आईडी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।

अतः भू–सम्पदा संप्रवर्तकों को निर्देश दिया जाता है कि परियोजना पंजीयन हेतु आवेदन पत्र में परियोजना से सम्बन्धित, परियोजना के आवंटियों एवं एजेण्ट आदि के प्रयोग हेतु 03 ईमेल आईडी जो उपयोग की जानी है, उक्त तीनों ईमेल आईडी की सूचना भी पंजीयन आवेदन–पत्र में अवश्य उल्लिखित करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2. मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. सहायक निदेशक सिस्टम, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित की कार्यालय आदेश उ.प्र. रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. मेसर्स एक्मे डिजिटेक साल्यूशन प्रा.लि.।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव